<u>प्रकरण संख्या 22/2023 मूलचन्द बनाम मनोहरलाल व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.05.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मृतक रामलाल ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खाता संख्या 123 की आराजी नंबर 44 से 55, 1890 कुल किता 13 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम बाघाना, तहसील भीम में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 4 से 9 वादी के परिजन हैं, जिनके पक्ष में राजस्व मण्डल अजमेर से डिक्री प्रदान की गयी है तथा अन्यत्र बाहर रहने से यह वह वाद में प्रतिवादीगण बनाये गये हैं। वादग्रस्त आराजियात बाबत् एक वाद तत्कालीन खातेदार श्री लाला पिता रूपा, पन्ना पिता काना, नैना पिता पन्ना रावत के विरूद्ध सहायक कलक्टर भीम में पेश किया गया था। उक्त वाद बाबत् राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर वादीगण के हक में निर्णय पारित किया गया तथा रेस्पोन्डेन्ट लाला वगैरह ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की, जिसका निर्णय अपीलान्ट लाला वगैरह के विरूद्ध पारित किया गया तथा रेस्पोन्डेन्ट को आराजीयात का खातेदार घोषित किया गया। उक्त राजस्व मण्डल के आखिरी निर्णय के बाद विवादित आराजियात की खातेदारी श्री लखमीचन्द पिता धन्नराज, गोटेलाल, रामलाल, मिश्रीलाल पिता खेमराज महाजन के नाम दर्ज की गयी। उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट पुनः पूर्व खातेदार चुन्नी बेवा दुदा व कूंपा, केला पिता गांगा के नाम सहवन से दर्ज कर दी गयी, जबकि कब्जा वादी का ही चला आ रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 9 को वादग्रस्त आराजी नंबर 44 से 55, 1890 कुल किता 13 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी चुन्नी बेवा दुदा व कूंपा, केला पिता गांगा का नाम हटाया जाकर जावे तथा उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.12.2017 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01.09.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट के ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बाद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब [illegible] अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अ[illegible] के साथ धारा 5 [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:46 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस नहीं मिला एवं न ही कभी उसकी तामील हुई। दिनांक 14.07.2023 को प्रथम बार उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट विवादित आराजियात के रेकार्डेड खातेदार होकर 1/2 हिस्से का मालिक है तथा 1/2 हिस्से के मालिक काबिज गोटालाल, रामलाल, मिश्रीलाल पिता खेमराज हैं। उक्त जमीन के संबंध में कभी भी किसी न्यायालय द्वारा उन्हें खातेदार मानने से इंकार नहीं किया गया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात को नजर अंदाज करते हुए अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना सूचित किये कथित निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्ट की कोई तामिल नहीं हुई है तथा अपीलान्ट के नोटिस में यह लिखा हुआ है कि मूलचन्द पिता लक्ष्मीचन्द जी बाहर बैंगलूर में रहते हैं तथा मकान पर ताला लगा हुआ है, दो मौतबीर तस्दीक देते हैं इस आधार पर सम्मन अदम तामिल का दोनों प्रति वापस प्रात हुआ तथा सही पते पर दुबारा सम्मन नहीं भेजा गया, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की तामिल मानते हुए बिना किसी साक्ष्यों का अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में खाता संख्या 123 की आराजी नंबर 44 से 55, 1890 कुल किता 13 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा चुनी बेवा दूदा, कूंपा, केला पिता गांगा रावत, लखमीचन्द पिता धनराज, गोटेलाल, रामलाल, मिश्रीलाल पिता खेमराज महाजन के खातेदारी में दर्ज है। वादी ने अपने वाद में यह अंकित किया है कि राजस्व मण्डल के [illegible] निर्णय के बाद आराजी मुतदावीया की खातेदारी [illegible] गोटेलाल, रामलाल, मिश्रीलाल पिता [illegible] के खातेदारी में दर्ज की गयी किन्तु वक्त सेटलमेन्ट पुनः पूर्व [illegible] चुनी बेवा दूदा, कूंपा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:46 IST
Reason: SelfAttested

केला पिता गांगा का नाम दर्ज कर दिया गया जो गलत है एवं मौके पर कब्जा चुनी वगैरह का नहीं है तथा वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिससे उक्त खातेदारी से प्रतिवादी चुनी बेवा दूदा, कूंपा, केला पिता गांगा का नाम हटाया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 से 9 का नाम दर्ज करने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है तथा वाद के अनुतोष में भी वादी व प्रतिवादी संख्या 4 से 9 को खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री चाही है, किन्तु लखमीचन्द के विरूद्ध अथवा पक्ष में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है, जबकि लखमीचन्द के पुत्र मूलचन्द को प्रतिवादी संख्या 3 बनाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 9 विवादित आराजी नंबर 44 से 55, 1890 कुल किता 13 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि के सम्पूर्ण रकबे का खातेदार घोषित कर दिया है, अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 मूलचन्द के बारे में किसी का कोई अंकन अपने निर्णय में नहीं किया है, जिसके कारण अपीलान्ट के पिता लखमीचन्द का नाम जमाबन्दी से हटा दिया गया है, जो हाल जमाबन्दी संवत् 2077 के अवलोकन से स्पष्ट है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट मूलचन्द के सम्मन नोटिस में यह लिखा हुआ है कि "मूलचन्द पिता लक्ष्मीचन्द जी बाहर बैंगलूर में रहते हैं तथा मकान पर ताला लगा हुआ है, दो मौतबीर तस्दीक देते हैं।" उक्त आधार पर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 की सम्मन तामिल मानते हुए उसे बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात के सहखातेदार अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 3 को बिना सुने विवादित आराजियात के सम्पूर्ण हिस्से का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 9 को खातेदार घोषित कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 83/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री 20–12–2017 में संशोधन किया जाकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 मूलचन्द का नाम भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 9 के साथ जोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:46 IST
Reason: SelfAttested

(...सिंह सांगावत)
... अधिकारी
एवं ... राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर